उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1999]

[जैसा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ तथा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 24 मार्च, 1999 ई० को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में दिनांक 24 मार्च, 1999 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में दूर शिक्षा पद्धति के प्रारम्भ और संवर्धन के लिए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:––

अध्याय––एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999 कहा जायगा ।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में,––

(क) "विद्या परिषद्" और "कार्य परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय को क्रमशः विद्या परिषद् और कार्य परिषद् से है ;

(ख) "मान्यता बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के मान्यता बोर्ड से है ;

(ग) "महाविद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या ऐसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था से है ;

(घ) "दूर शिक्षा पद्धति" का तात्पर्य संचार के किसी माध्यम से, यथा प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, सम्पर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की प्रणाली से है ;

(ङ) "वित्त समिति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है ;

---

1. उद्देश्यों और कारण हेतु दिनांक इस अधिनियम के अन्त में देखिए ।

(च) "अन्य पिछड़े वर्गो" का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ें वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़ें वर्गो से है ;

(छ) "योजना बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के योजना बोर्ड से है ;

(ज) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है ;

(झ) "विद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र से है ;

(ञ) "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों से है ;

(ट) "विद्यार्थी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थी से है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसने विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु अपना नामांकन कराया है ;

(ठ) ''अध्ययन केन्द्र'' का तात्पर्य विद्यार्थियों को सलाह देने, परामर्श देने या उनके द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता देने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केन्द्र से है;

(ड) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने या उसकी सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षण देने के लिए नियोजित हो और इसके अन्तर्गत महाविद्यालय के प्राचार्य या निदेशक भी है ;

(ढ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय से है ।

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय का स्थापना एवं निगमन

3–(1) उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी ।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय इलाहाबाद में होगा तथा वह राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर, जिन्हें वह उचित समझें, महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र स्थापित या अनुरक्षित कर सकेगा।

(3) कुलाधिपति, कुलपति तथा कार्यपरिषद् एवं विद्या परिषद् के सदस्यों की हैसियत से विश्वविद्यालय में तत्समय पदधारक, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4–विश्वविद्यालय दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से अतिसंख्य जनसमुदाय में विद्या और ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि करेगा और अपने क्रियाकलापों को संचालित करने में अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का सम्यक् ध्यान रखेगा ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

5–विश्वविद्यालय की शक्तियां निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :––

(एक) ज्ञान, प्रौद्योगिकी, वृत्तियों एवं व्यवसायों की ऐसी शाखाओं में जैसी विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय, शिक्षण हेतु व्यवस्था करना तथा अनुसंधान का व्यवस्थापन करना ;

(दो) उपाधियों, उपाधि–पत्रों, प्रमाण–पत्रों अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु शिक्षण पाठ्यक्रमों को योजित एवं विहित करना ;

(तीन) परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार, परीक्षा का आयोजन करना तथा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है या अनुसंधान किया है, उपाधियां, उपाधि–पत्रों अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं या मान्यताएं प्रदान करना ;

(चार) विहित रीति के अनुसार मानद उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना ;

(पांच) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दूर शिक्षा का आयोजन करने की रीति का निर्धारण करना ;

(छः) शिक्षण देने के लिए या शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिए या ऐसे अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों का संचालन करने के लिए जिनके अन्तर्गत पाठ्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन, उनकी रूपरेखा तैयार करना और उनका प्रस्तुतीकरण भी है, और छात्रों द्वारा किये गये कार्य के मूल्यांकन के लिए आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक से संबंधित पद और अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे आचार्य, उपाचार्य, संबंधित पद और अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना ;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थाओं, वृत्तिक निकायों और संगठनों के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, सहयोग करना और उनका सहयोग प्राप्त करना ;

(आठ) अध्येता वृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और योग्यता की मान्यता के लिए ऐसे अन्य पारितोषिक संस्थित करना और देना, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे ;

(नौ) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना जो विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अवधारित किये जायें ;

(दस) विहित रीति से अध्ययन केन्द्र स्थापित करना, उन्हें बनाये रखना या मान्यता देना ;

(ग्यारह) शिक्षा सामग्री, जिसके अन्तर्गत फिल्में, कैसेट, टेप, वीडियों कैसेट और अन्य मृदु सामग्री है, तैयार करने के लिए व्यवस्था करना ;

(बारह) अध्यापकों, पाठ्यलेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कर्मशालायें, विचार गोष्ठियों और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना ;

(तेरह) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्चतर शिक्षा के अन्य स्थानों में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों को, चाहे पूर्णतः या आगतः विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों के समतुल्य रूप में मान्यता देना और किसी भी समय ऐसी मान्यता को वापस लेना ;

(चौदह) शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित विषयों में अनुसंधान तथा विकास की व्यवस्था करना ;

(पन्द्रह) प्रशासकीय लिपिक–वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना ;

(सोलह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु सन्दान, दान और उपहार ग्रहण करना तथा न्यासीय और राजकीय सम्पत्ति सहित किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का उपार्जन, धारण, अनुरक्षण तथा निस्तारण करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या अन्यथा, ऋण पर धन प्राप्त करना ;

(अट्ठारह) संविदायें करना, उनकी कार्यान्वित, परिवर्तित अथवा निरस्त करना ;

(उन्नीस) अध्यादेशों द्वारा नियत शुल्कों और अन्य प्रभारों की मांग एवं प्राप्ति करना ;

(बीस) छात्रों और सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों के बीच अनुशासन की व्यवस्था करना, नियंत्रण करना और उसे बनाये रखना और ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों को, जिनके अन्तर्गत उनकी आचरण संहितायें भी है अधिकथित करना ;

(इक्कीस) उच्चतर विद्या या अध्ययन की किसी संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना ;

(बाईस) संविदा पर या अन्यथा अभ्यागत आचार्यो, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान कर सकें, नियुक्त करना ;

(तेईस) अन्य विश्वविद्यालयों संस्थाओं या संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के रूप में ऐसे निबंधनों और शर्तो पर जो अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जायें, मान्यता देना ;

(चौबीस) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए शर्ते विनिर्दिष्ट करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन और परीक्षण की कोई अन्य रीति है ;

(पच्चीस) कर्मचारियों के साधारण स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबन्ध करना ;

(छब्बीस) विहित रीति से किसी महाविद्यालय या किसी क्षेत्रीय केन्द्र को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना ;

(सत्ताईस) ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो विहित की जायं राज्य में किसी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना ;

परन्तु यह किसी भी महाविद्यालय को ऐसे विशेषाधिकार कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं दिये जायेंगे ;

(अट्ठाईस) ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय की ऐसी सभी या किन्ही शक्तियों के, जो आवश्यक है, प्रयोग से आनुषांगिक हों और विश्वविद्यालयों के सभी या किन्हीं उद्देश्यों के संप्रवर्तन में सहायक हो ।

शक्तियों का प्रादेशिक प्रयोग

6–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय को अपनी शक्तियों के प्रयोग में अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर होगी ।

विश्वविद्यालय का सभी वर्गों और पंथों के लिए खुला होना

7–(1) विश्वविद्यालय वर्गो और पंथों का विचार किये बिना सभी व्यक्तियों के लिए चाहे स्त्री हो या पुरूष, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्ति किये जाने या उसमें कोई अन्य पद

धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपयोग करने या प्रयोग का हकदार बनाने के लिए कोई भी धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदण्ड अपनाना, उस पर अधिरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात विश्वविद्यालय की स्त्रियों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ें वर्गो के व्यक्तियों को नियुक्ति या प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जायेगी ।

अध्याय—तीन

निरीक्षण तथा जांच

निरीक्षण

8–(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र जिसके अन्तर्गत उनके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी हैं और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण करने या विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या ऐसे केन्द्रो के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा ;

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, वहां वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी और कार्य परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित हो सकता है और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा :

परन्तु यह कि ऐसे निरीक्षण या जांच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई विधि व्यवसायी प्रस्तुत नहीं होगा, अभिवचन या कृत्य नही करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने और दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय की होती है, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 एवं 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी ।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति कार्य परिषद् को राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने योग्य कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी गयी सलाह की संसूचना देगा।

(5) तत्पश्चात् कुलपति ऐसे समय के भीतर जैसा राज्य सरकार निर्धारित करें, उसे कार्य परिषद् द्वारा कृत या प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही नहीं करते , तो राज्य सरकार ऐसे किसी स्पष्टीकरण पर जिसे ऐसे प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे ।

(7) राज्य सरकार कुलाधिपति की उपधारा (1) के अधीन कराये गये निरीक्षण या जांच की प्रत्येक रिपोर्ट की और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन दिये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश के अननुपालन या अनुपालन के सम्बन्ध में प्रत्येक रिपोर्ट या सूचना की एक प्रति भेजेगी।

(8) उपधारा (6) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कुलाधिपति की, उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज या सामग्री पर, विचार करने के पश्चात् यह राय हो कि कार्य परिषद् अपने कृत्यों का पालन करने में असफल रही है अथवा उसने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किया है तो वह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का उसे अवसर देने के पश्चात् यह आदेश दे सकेगा कि उक्त कार्य परिषद् को अधिक्रमित करते हुये कुलपति तथा दस से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से जिन्हें कुलाधिपति इस निमित्त नियुक्त करें जिसके अन्तर्गत अधिक्रमित कार्य परिषद् का कोई सदस्य भी है, गठित एक तदर्थ समिति दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी कुलाधिपति समय–समय पर विनिर्दिष्ट करें इस अधिनियम के अधीन कार्य परिषद् की सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग और अनुपालन करेगी ।

(9) उपधारा (8) के अधीन आदेश दिये जाने पर उससे अधिक्रमित कार्य परिषद् के सभी सदस्यों की जिसके अन्तर्गत पदेन सदस्य भी है पदावधि समाप्त हो जायेंगी और ऐसे सभी सदस्य इस रूप में अपना पद रिक्त कर देंगे ।

अध्याय—चार

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :––

(क) कुलाधिपति ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रति–कुलपति ;

(घ) निदेशक ;

(ङ) कुलसचिव ;

(च) वित्त अधिकारी ;

(छ) परीक्षा नियंत्रक, तथा

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें ।

कुलाधिपति

10–(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो तो, विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(2) सम्मानित उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगी ।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे ।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जायं ।

कुलपति

11–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा उस रीति से, उस अवधि के लिए और उन उपलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर जैसी कि विहित की जायं, नियुक्त किया जायेगा ।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा ।

(3) यदि कुलपति के मतानुसार किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही आवश्यक है तो वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा ऐसे विषय पर स्वयं द्वारा कृत कार्यवाही को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को संसूचित करेगा :

परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित अधिकारी, प्राधिकारी के मतानुसार ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह विषय को कुलाधिपति को संदर्भित कर सकता है जिसका उस विषय पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरूद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाय, नब्बे दिनों के भीतर कार्य परिषद् को, अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य–परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकती है ।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी प्राधिकारी का विनिश्चय इस अधिनियम परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के परे है या यह है कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय की साठ दिन के भीतर अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि प्राधिकारी अपने विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इन्कार करता है या साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु सम्बन्धित प्राधिकारी का विनिश्चय, यथास्थिति, प्राधिकारी या कुलाधिपति द्वारा इस उपधारा के अधीन ऐसे विनिश्चय के पुनविलोकन की अवधि के दौरान निलम्बित रहेगा ।

(5) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें।

प्रति–कुलपति

12–प्रति–कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तो पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायें।

निदेशक

13–प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तो पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायें ।

कुल सचिव

14–(1) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से, ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तो पर दी जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायें ।

(2) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी ।

वित्त अधिकारी

15–(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की शर्तो पर की जायेंगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।

(2) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा ।

परीक्षा नियंत्रक

16–(1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा शर्तो पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किये जायें।

(2) जब, किसी कारण से, परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तब परीक्षा नियंत्रक की सभी शक्तियों और कृत्यों का पालन कुल सचिव द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाय, किया जायेगा ।

अन्य अधिकारी

17–विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति उनकी उपलब्धियां, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

अध्याय––पांच

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

18–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :––

(क) कार्य परिषद् ;

(ख) विद्या परिषद् ;

(ग) योजना बोर्ड ;

(घ) मान्यता बोर्ड ;

(ङ) अध्ययन केन्द्र ;

(च) वित्त समिति ;

(छ) परीक्षा समिति ; और

(ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिए घोषित किये जाये ।

कार्य परिषद्

19–(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा ।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किये जाये ।

विद्या परिषद्

20–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भीतर विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा के स्तरमानों का नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और उनकों बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी को विहित किये जाये ।

(2) विद्या परिषद् का गठन उनके सदस्यों की पदावधि ऐसी होंगी जैसी विहित की जायं ।

योजना बोर्ड

21–(1) विश्वविद्यालय का एक योजना बोर्ड गठित किया जायेगा जो विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में उपदर्शित आधारों पर, विश्वविद्यालय के विकास को मॉनीटर करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें ।

मान्यता बोर्ड

22–(1) मान्यता बोर्ड महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं की विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) मान्यता बोर्ड का गठन और उसकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें ।

अध्ययन केन्द्र

23–(1) अध्ययन केन्द्र इतनी संख्या में होंगे जितनी विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे ।

(2) अध्ययन केन्द्रों का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें ।

वित्त समिति

24–वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें ।

अन्य प्राधिकारी

25–अन्य प्राधिकारियों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होगे जैसे विहित किये जाये ।

अध्याय—छः
परिनियम अध्यादेश और विनियम

परिनियम

26–इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा, और विशिष्टतः उसमें निम्नलिखित उपबंध किये जायेंगे :––

(क) कुलपति की नियुक्ति की रीति, उसकी नियुक्ति की अवधि, उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्ते तथा शक्तियां, और कृत्य जिनका उसके द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा ;

(ख) प्रति–कुलपतियों, निदेशकों, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उपलब्धियां और उनकी सेवा की शर्ते तथा शक्तियां और कृत्य जिनका उक्त ऐसे अधिकारियों मे से प्रत्येक के द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा ;

(ग) कार्य परिषद् और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों की पदावधियां और शक्तियां तथा कृत्य जिनका प्रयोग और पालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा ;

(घ) अध्यापकों और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां तथा उनकी सेवा की अन्य शर्ते ;

(ङ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन और बीमा स्कीम की स्थापना ;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करेन वाले सिद्धान्त ;

(छ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्यवाही के विरूद्ध विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक, कर्मचारी या छात्र द्वारा किसी अपील या पुनर्विलोकन के लिए किसी आवेदन के सम्बन्ध में प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वह समय है, जिसके भीतर ऐसी अपील या पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जायेगा ;

(ज) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया ;

(झ) महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को अनुदानों का आवंटन और संवितरण ;

(ञ) वे शर्ते जो, महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देने के लिए पूरी की जाने के लिए अपेक्षित है ।

(ट) सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं या किये जायं ।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

27–(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे :

(2) कार्य परिषद् नये और अतिरिक्त परिनियम समय–समय पर बना सकेगी, या उप–धारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नही बनायेगी, उसका संशोधन

नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी, जब तक ऐसे प्राधिकारी का प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया है ।

(3) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्द्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या अपनी अनुमति विधारित कर सकेगा या उस पर अग्रतर विचार करने के लिए कार्य परिषद् को भेज सकेगा ।

(4) कोई नया परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि कुलाधिपति द्वारा उसकी अनुमति नही दे दी गई है ।

(5) पूर्ववर्ती उप–धाराओं में किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के दौरान नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा ।

(6) पूर्वतर्ती उप–धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को निदेश दे सकेगी, परिनियम में उपबन्ध करने हेतु निर्देशित और यदि कार्य परिषद् ऐसे निर्देश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश के कार्यान्वित करने में असमर्थ है तो राज्य सरकार, कुलाधिपति की अनुमति से, कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निर्देश का पालन करने में अपनी असमर्थता के लिए संसूचित किये गये कारणों पर यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् परिनियम बना सकेगी या उनका यथोचित रूप में संशोधन कर सकेगी ।

अध्यादेश

28–(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबंध किये जा सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध किये जायेंगे, अर्थात् :–

(क) छात्रों का प्रवेश, पाठ्यक्रम और उनके लिए फीसों, उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण–पत्रों और अन्य पाठ्यक्रमों से संबंधित अर्हतायें, अध्येतावृत्तियों, पारितोषकों और वैसी ही अन्य बातों की मंजूरी के लिए शर्ते ;

(ख) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षकों के निबन्धन, शर्ते और उनकी नियुक्ति भी है ; और

(ग) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों का प्रबन्धन ।

(3) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाये जायेंगे और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्तित किये जा सकेंगे ।

विनियम

29–विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गयी समितियों, यदि कोई हों, के कार्य संचालन के लिए और जिसका इस अधिनियम,

परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत है।

अध्याय—सात

वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा

वार्षिक प्रतिवेदन

30–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे ।

(2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलाधिपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा जो विहित किया जाय ।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी ।

लेखा और लेखा परीक्षा

31–(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन–पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अध्यधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करें, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर उनको लेखा परीक्षा की जायेगी ।

(2) वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र की एक प्रति उस पर लेखा–परीक्षा के प्रतिवेदन सहित राज्य सरकार को कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों, यदि कोई हों, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर के पूर्व प्रस्तुत की जायेगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर राज्य सरकार द्वारा किये गये संप्रेक्षण कार्य–परिषद् के ध्यान में लायें जायेंगे । ऐसे संप्रेक्षणों पर कार्य–परिषद् के विचार, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे ।

अधिभार

32–(1) धारा 9 के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो ।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जायेंगी ।

अध्याय—आठ

कर्मचारियों की सेवा शर्ते

कर्मचारियों की सेवा की शर्ते

33–(1) इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय का कर्मचारी जिसके अन्तर्गत अध्यापक भी है लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायेगा तथा ऐसी संविदा इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों से असंगत नहीं होगा ।

(2) उप–धारा (1) मे निर्दिष्ट संविदा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी ।

माध्यस्थम अधिकरण

34–(1) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी या अध्यापक के बीच धारा 33 में निर्दिष्ट नियोजन की किसी संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी या अध्यापक द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जाने वाला अधिनिर्णायक होगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा निर्देश आर्बीट्रेशन एण्ड कन्सिलियेशन ऐक्ट, 1996 के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम के लिए निवेदन समझा जायेगा ।

भविष्य एवं पेंशन निधियां

35–(1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों और अध्यापकों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए सो विहित की जायं, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसा वह उचित समझे।

(2) जहां किसी भविष्य या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया हो, वहां राज्य सरकार वह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो ।

अध्याय––नौ

प्रकीर्ण

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

36–यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

आकस्मिक रिक्तियां का भरा जाना

37–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न, सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र, सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता ।

रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

38–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में कोई रिक्तियों या रिक्तियां होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की कार्यवाही के लिए संरक्षण

39–कोई विवाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों मे से किसी के अनुसरण मे सद्भावपूर्वक की गयी है या की जाने के लिए तात्पर्वित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होगी ।

विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द

40–(1) विश्वविद्यालय उतनी संख्या में कर्मचारियों, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द भी है, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत की जाय, नियुक्त करेगा । विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी जैसी विहित की जाय ।

(2) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किये जाय ।

अध्याय––दस

विविध एवं संक्रमणकालीन उपबंध

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

41–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ;

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

42–इस अधिनियम एवं परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ––

(क) प्रथम कुलपति, प्रथम कुल सचिव और प्रथम परीक्षा नियंत्रक, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और वे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा के निबन्धनों और शर्तो से शासित होंगे :

परन्तु प्रथम कुलपति परिनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से दूसरी अवधि के नियुक्ति के लिए पात्र होगा ;

(ख) प्रथम कार्य परिषद् में दस से अनधिक सदस्य होंगे, जो कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ; और

(ग) (एक) प्रथम योजना बोर्ड में दस से अनधिक सदस्य होंगे कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे दो वर्ष की अवधि के लिए धारण करेंगे ;

(दो) योजना बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों अतिरिक्त विद्या परिषद् की शक्तियों का प्रयोग तब तक करेगा जब तक कि अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन विद्या परिषद् का गठन नहीं किया जाता है और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए योजना बोर्ड ऐसे सदस्य को सहयोग कर सकेगा, जो वह विनिश्चित करे ।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का बजट में प्रकाशित किया जाना

43–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश विनियम गजट में प्रकाशित किया जायगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम अध्यादेश या विनियम उसके बाद जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जाय और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबंध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में प्रवृत्त होते है ।

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1904

निरसन और अपवाद

44–(1) उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1998 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

यू0पी0 अधिनियम संख्या 18 सन् 1998

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधिकृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

अनुसूची

(धारा 4 देखिये)

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

1—विश्वविद्यालय राज्य के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए जो राज्य की समृद्ध परम्पराओं पर आधारित हो, भारत की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय साधनों की उन्नति और अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तारण के माध्यम से प्रयास करेगा । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह :––

(क) नियोजन की आवश्यकताओं से संबंधित तथा देश की अर्थ–व्यवस्था के, उसके प्राकृतिक और मानवीय साधनों के आधार पर, निर्माण के लिए आवश्यक उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें विविध प्रकार का बनाएगा ;

(ख) जनता के बड़े भागों और विशिष्टतया सुविधा रहित समूहों को जैसे वे समूह जो दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे है, जिनके अन्तर्गत श्रमजीवी जनता, घरेलू महिलायें और अन्य ऐसे वयस्क है, जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने और अर्जित करने की इच्छा रखते है, उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुंच के लिए उपबंध करेगा ;

(ग) शीघ्रता से विकसित और परिवर्तित होने वाले समाज मे ज्ञान के अर्जन का संवर्धन करेगा और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में नव–परिवर्तन, अनुसंधान, खोज खंड के संदर्भ में ज्ञान, प्रशिक्षण और कुशलता बढ़ाने के लिए लगातार अवसर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेगा ;

(घ) ज्ञान के नये क्षेत्रों में विद्या की अभिवृद्धि करने और उसे विशिष्टतया प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्या के तरीकों और गति, पाठ्यक्रमों के मिश्रण, नामांकन की पात्रता, प्रवेश की आयु, परीक्षाओं के संचालन और कार्यक्रमों के प्रवर्तन के संबंध में लचीली और मुक्त विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को नव–पद्धती के लिए, उपबन्ध करेगा ;

(ङ) औपचारिक पद्धती की अनुपूरक अनौपचारिक प्रणाली का उपबन्ध करके और विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किये गये पाठों और अन्य मृदु–सामग्री का विस्तृत रूप से उपयोग करके गण्यता के अन्तरण को और अध्यापन कर्मचारिवृन्द विनियम को प्रोत्साहित करके भारत शैक्षणिक पद्धती के सुधार के लिए योगदान देगा ;

(च) देश की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और कुशलताओं में, उनकी क्वालिटी में सुधार करके और जनता के लिए उनकी उपलब्धता में वृद्धि करके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध करेगा ;

(छ) ऐसे कार्यकलापों या संस्थाओं के लिए अपेक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध या प्रबन्ध करेगा ;

(ज) अध्ययन के यथोचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए उपबन्ध करेगा और अनुसंधान को बढ़ावा देना ;

(झ) अपने छात्रों के लिए परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए उपबन्ध करेगा ; और

(ञ) अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास में वृद्धि करेगा ।

2—विश्वविद्यालय दूर और अनुवर्ती शिक्षा के विविध माध्यमों से उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रवास करेगा और उच्चतर शिक्षा के विद्यमान विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के सहयोग से कृत्य करेगा और नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान का और नई शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का, ऐसी उच्च क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए जो समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप हों, पूर्ण उपयोग करेगा ।

उद्देश्य और कारण

यद्यपि अनेक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा दे रहे हैं तो भी राज्य में प्रत्येक वर्ष अधिक संख्या में विद्यार्थी संस्थागत उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि विभिन्न संस्थाओं को क्षमता से संस्थागत उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। संस्थागत उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों को यद्यपि परीक्षा फार्म भरने और व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की सुविधा प्राप्त है। किन्तु उक्त संस्थाओं से उन्हें कोई अन्य सहयोग नहीं प्राप्त होता है। इसलिये संस्थागत उच्च शिक्षा के इच्छुक समस्त विद्यार्थियों को संस्थागत उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देने के लिए यह विनिश्चय किया गया कि केन्द्र सरकार की इन्दिरा गांधी नेशनल ओपेन यूनिवर्सिटी के पैटर्न पर उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से राज्य में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 नवम्बर, 1998 को उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1998 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 1998) प्रख्यापित किया गया।

उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।